एन. सी. टी. दिल्ली

विरुद्ध

मालविंदर सिंह

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी.पी. नौलेकर, न्यायाधिपति]

स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 - धारा 42 व 43 - धारा 42 की प्रयोज्यता - ऐसे मामलों में जहां गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर अभिगमन कर रहे वाहन को रोककर तलाशी और जब्ती करता है - अभिनिर्धारण : ऐसे मामलों में धारा 43 में उपबंधित प्रावधान की दृष्टि में धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

वर्तमान मामले में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या ऐसे मामले में जहाँ गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर अभिगमन कर रहे वाहन को रोककर तलाशी और जब्ती करता है, धारा 42 स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 लागू होती है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया था कि ऐसे मामले में प्राप्त गुप्त सूचना को लिखित रूप में क्रमबद्ध नहीं किया गया था और इसे उच्चाधिकारी को भी नहीं भेजा गया था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रावधान का अनुपालन नहीं

किया गया था। न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

1.1. उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है। प्रकरण के तथ्यों पर धारा 42 की प्रयोज्यता लागू नहीं होती है। ऐसे मामले में जहाँ गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर अभिगमन कर रहे वाहन को रोककर तलाशी और जब्ती करता है, धारा 42 स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 लागू नहीं होती है।

[पैरा 9 और 7] [1114- ई; 1112-एच; 1113-ए]

1.2 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 की धारा 43 में यह प्रावधान है कि धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या अभिवहन में किसी भी मादक पदार्थ या मनः प्रभावी पदार्थ आदि को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी तलाशी लेने के लिए भी अधिकृत है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। धारा 43 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति में कोई भी सार्वजनिक परिवहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल हैं, जो जनता के उपयोग

के लिए हैं या जनता के लिए सुलभ हैं। यदि सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन की तलाशी ली जाती है, तो अधिकारी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की तलाशी के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के परंतुक के अनुसार तलाशी के लिए संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।[पैरा 8] [1113-E-H; 1114-A]

हरियाणा राज्य विरुद्ध जरनैल सिंह और अन्य, [2004] 5 एस. सी. सी. 188, पर आधारित

2. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा भेजी गई जानकारी के रिकॉर्ड, यदि कोई हो, को मँगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभिलेख निश्चित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। [पैरा 7 और 6]

टी. थॉमसन विरुद्ध केरला राज्य और अन्य, [2002] 9 एस.सी.सी. 618, पर आधारित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 433/2002.

दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 16/1992 में दिनांक- 01.05.2001 को पारित निर्णय और आदेश से।

बी. बी. सिंह, विकास शर्मा और डी. एस. मेहरा, अपीलार्थी की ओर से।

के. सारदा देवी, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत, द्वारा पारित किया गया।

1. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वान एकल न्याय पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। (यहां से आगे "अभियुक्त" सम्बोधित किया जाएगा) विद्वान सेशन न्यायाधीश, दिल्ली ने सत्र प्रकरण संख्या-698/1991 में अभियुक्त को स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और उसे दस साल के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सशर्त सजा सुनाई गई।

2. संक्षेप में अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है :

20 फरवरी, 1990 को प्राणनाथ, उप-निरीक्षक, उत्तरी जिले के विशेष कर्मचारी रमेश कुमार सहायक उप-निरीक्षक, पूरन चंद हैड कांस्टेबल, रघुवीर सिंह हैड कांस्टेबल, वेदप्रकाश हैड कांस्टेबल व अन्य कांस्टेबल के साथ गश्त ड्यूटी पर थे। सुबह लगभग 7 बजे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित मॉल रोड़ पर पेट्रोल पंप के पास, तिमारपुर में एक पुलिस मुखबीर ने आरोपी के पास अफीम होने की जानकारी प्राणनाथ, उप-निरीक्षक को दी। परिणास्वरूप, एक छापा मारने वाले दल का गठन किया गया। उपर्युक्त पुलिस वालों के अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी जीतलाल भी

छापेमारी दल में शामिल हुआ था। इसके बाद, छापा मारने वाले दल के सदस्य रिंग रोड क्रॉसिंग, तिमारपुर पर प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रातः लगभग 7:45 बजे स्कूटर नं. डी. आई. ए. 819 को छापा मारने वाले दल के सदस्यों ने देखा। यह देखा गया कि मालविंदर सिंह (आरोपी) उक्त स्कूटर चला रहा था और आरोपी ओम प्रकाश उर्फ लल्ला उर्फ गुप्ता उसकी पिछली सीट पर बैठा था। मुखबीर सूचना के आधार पर स्कूटर को रोका गया। प्राणनाथ, उप-निरीक्षक ने अभियुक्त को सूचित कर इस तथ्य से अवगत कराया कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें उनकी सामग्री की तलाशी करने के लिए एक अधिकारी (राजपत्रित) के सामने पेश किया जा सकता है। अभियुक्तगण ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि उनके पास अफीम है। हालाँकि, प्राणनाथ, उप-निरीक्षक ने तिमारपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एस. एच. ओ. रमेश चंद सैनी और ए. सी. पी. एच. एम. मीणा को सूचना भेजी और उन्हें मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद एसीपी श्री मीना और एसएचओ श्री सैनी एक के बाद एक मौके पर पहुंचे। दोनों ने मौके पर तथ्यों की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने जांच अधिकारी को तलाशी लेने का निर्देश दिया। अभियुक्त ओम प्रकाश की तलाशी से 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिसे एक समाचार पत्र में लपेटा गया था और ओम प्रकाश की छाती, कमीज और स्वेटर के बीच रखी हुई थी। आरोपी मालविंदर ने स्कूटर की चाबी हैंडल लॉक से निकालकर पेश की। अफीम का वजन 700 ग्राम था,

उपरोक्त स्कूटर के डिक्की से हरे रंग के पॉलिथीन पेपर में लिपटा हुआ सामान बरामद किया गया। उपरोक्त 800 ग्राम और 700 ग्राम वजन वाले अफीम के अलग-अलग पार्सल से 50-50 ग्राम वजन के दो नमूना सैंपल को अलग किया गया और आर.के.वी. रमेश कुमार ए.एस.आई. व आर.सी.एफ थानाधिकारी से संबंधित प्रारंभिक अक्षरों वाली मुहरों के साथ पैक और सील मुहर किया गया। सी. एफ. एस. एल. प्रपत्र भरा गया और दोनों मुहरें उस पर चिपकाई गईं। आर. के. वी. की मुहर स्वतंत्र साक्षी जीतलाल को सौंपी गई थी, लेकिन एस. एच. ओ. ने उसकी मुहर उसके पास बरकरार रखी। एस. एच. ओ. मामले की संपत्ति और सी. एफ. एस. एल. प्रपत्र को पुलिस थाने ले गया और इसे मालखाना प्रभारी के पास जमा करा दिया। ओम प्रकाश के कब्जे से बरामद मामले की संपत्ति को रिकवरी मेमो के माध्यम से जब्त कर लिया गया था। रिकवरी मेमो के माध्यम से पीडब्लू 1/बी, मालविंदर की मामले की संपत्ति, स्कूटर, चाबियाँ जब्त की गईं। प्रदर्श पीडब्लू1/ए सिपाही कुलदीप सिंह रुक्का पी.ड.06/ए लेकर गया और पुलिस स्टेशन में हैड कांस्टेबल केदारनाथ सिंह ने तत्काल मामला दर्ज किया। सी.एफ.एस.एल. पूर्व की रिपोर्ट 7/बी ने नमूनों में मॉर्फिन के प्रतिशत को 5.5 और 4.8 के लगभग दर्शाया। सार्वजनिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नमूनों ने अफीम के लिए सकारात्मक परिणाम दिया है। इस प्रकार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 17 के तहत आरोप लगाया गया।

3. जाँच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। अपीलार्थी ने यह भी दलील दी कि हैड कांस्टेबल चंद्रिका प्रसाद के साथ दुश्मनी के कारण उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। निचली अदालत ने सबूत को ठोस और विश्वसनीय पाया और दोनों अभियुक्तगण, अर्थात् ओम प्रकाश और वर्तमान प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और मुख्य रूप से इस आधार पर दोषसिद्धि पर सवाल उठाया कि अधिनियम की धारा 42 की प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया कि प्राप्त गुप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था और इसे उच्चाधिकारी को भी नहीं भेजा गया था। इस आशय के किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 42 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। तदनुसार दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया और दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

4. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह निष्कर्ष निकाला था कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें धारा 42 लागू होती है। निःसंदेह पुलिस पदाधिकारी को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली और उन्होंने छापेमारी दल का आयोजन किया था, एसीपी को भी सूचित किया गया था और वह छापेमारी दल का एक पक्ष था और इसलिए, धारा 42 का कोई उपयोग नहीं है। किसी भी

मामले में कोई भी जानकारी भेजने की आवश्यकता नहीं थी, जो वास्तव में किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी को दी गई जानकारी से संबंधित रिकॉर्ड मंगाना आरोपी का काम था। किसी भी घटना में, यह एक ऐसा मामला है जो न केवल धारा 43 भादस के अंतर्गत आता है, अपितु धारा 41 भादस के अंतर्गत भी आता है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

6. इस समय टी. थॉमसन विरुद्ध केरल राज्य और अन्य [2002 (9) एससीसी 618] मामले में इस न्यायालय द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। पैरा 5 में इसे इस प्रकार देखा गया:

"5. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू 1 द्वारा अपीलार्थी की गतिविधि के संबंध में प्राप्त सूचना का रिकॉर्ड तैयार किया गया कथित रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने माना कि अपीलकर्ताओं की ओर से रिकॉर्ड मंगवाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि इस तरह का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। इसलिए, हम उस बिंदु पर भी निष्कर्ष को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।"

7. ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा भेजी गई जानकारी, यदि कोई हो, का रिकॉर्ड मंगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आगे

सवाल यह है कि क्या इस प्रकृति के मामले में जब गश्ती ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को रोकता है और तलाशी और जब्ती करता है, तो धारा 42 का प्रावधान लागू नहीं होता है।

8. हरियाणा राज्य विरुद्ध जरनैल सिंह व अन्य [2004(5) एससीसी 188] में, यह धारित किया किया कि:

> "अगला सवाल यह है कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है। हमारे विचार में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 इस मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है। धारा 42 इसमें उल्लिखित विभागों के एक अधिकारी को अधिकृत करती है, जिसे इस संबंध में किसी भी ऐसी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए विधिवत् अधिकार दिया गया है, यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और लिखित रूप में ली गई जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि कोई नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ आदि किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में रखा या छिपाया गया है। इस शक्ति का प्रयोग सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच

यदि ऐसा कोई अधिकारी ऐसे भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने का प्रस्ताव करता है, तो उसे आधार दर्ज करना होगा उनके इस विश्वास के लिए कि किसी अपराधी को साक्ष्य छुपाने का अवसर या भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।"

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में प्रावधान है कि धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान या अभिवहन में किसी भी नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ आदि को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसके पास यह मानने का कारण है कि यह अपराध दंडनीय है। वह इस अधिनियम में अधिकृत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी तलाशी ले सकता है, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। धारा 43 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" में कोई भी सार्वजनिक परिवहन, होटल, दुकान, या अन्य स्थान शामिल है जो जनता के उपयोग के लिए है या जनता के लिए सुलभ है।

धारा 43 में किसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकता है, जबकि धारा 43 किसी सार्वजनिक स्थान या अभिगमन में की गई जब्ती पर विचार करती है। यदि धारा 42 के तहत सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच जब्ती की जाती है, तो प्रावधान की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा। अधिनियम की धारा 43 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी सार्वजनिक वाहन की सार्वजनिक स्थान पर तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम, अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि धारा 42 के प्रावधान में माना गया है।

मौजूदा मामले में कोई विवाद नहीं है कि टैंकर सार्वजनिक राजमार्ग पर जा रहा था जब उसे रोका गया और तलाशी ली गई। इसलिए धारा 43 इस मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण तलाशी लेने वाले अधिकारी को अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि धारा 42 के परंतुक में विचार किया गया है। इसके अलावा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक

भी तलाशी में दल के सदस्य थे। इस न्यायालय द्वारा एम. प्रभुलाल विरुद्ध सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय [2003(8) एससीसी 449] में यह माना गया है कि जहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 के तहत कार्य करते हुए एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं तलाशी ली जाती है, धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। इस कारण से भी, इस मामले के तथ्यों में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के परंतुक की आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था।"

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कानून की स्थिति से ऊपर उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। मामले के तथ्यों पर धारा 42 प्रयोज्य नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है। प्रत्यर्थी अभियुक्त को शेष सजा भुगतने के लिए तत्काल हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

10. अपील स्वीकार की गई।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ब्रह्मानन्द शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।